न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्रीनिधि बी टी (आई0ए0एस0)**
जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर 08/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/23**

उनवान प्रकरण

1–अजयकांत पुत्र मुन्ना । जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कैथरी
2–शिवकान्त पुत्र बाबूलाल ।
3–हरीकान्त पुत्र बावूलाल । तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 20.02.2024
मु0नं0 401/2024 सरकार बनाम अजयकांत वगैरा
धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :–
अपीलान्ट की ओर से :– श्री रामअवतोर गौड एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 30.9.2024**

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 57/1 व 58/1 रकवा 13.2643 हेक्टेयर बांके ग्राम रूंध गोगली तहसील सैपऊ सिवायचक आराजी पर सम्बत 2080 में रवी की फसल सरसों व गैंहू बोकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए खडी फसल को जप्त कर नीलाम करने एवं अपीलान्ट को बेदखल किये जाने तथा लगान का 50 गुना शास्ति 7868/–रू0 कायम करने का आदेश दिनांक 12.01 2024 पारित किया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ अधिकारी तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को किसी प्रकार सुनबाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और अपीलान्टस पर बिना किसी प्रकार तामील कराये महज विधिक प्रावधानों को ताक पर रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है तथा काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा महज पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय महज कानून का दुरूपयोग कर अपीलान्टस को नुकसान पहूँचाने के उद्देश्य से पारित किया है जो सरासर गलत है तथा काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 27.03.2024 को हल्का पटवारी के अवगत कराने पर हुआ तत्पश्चात उसी दिन दिनांक 27.03.2024 को अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु प्रार्थना पत्र कार्यालय तहसीलदार सैपऊ के यहां प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 27.03.2024 को प्राप्त हुई। ज्ञान से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र देरी को क्षमा करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा टाइप शुदा आदेश में केवल खाली स्थान भर कर आदेश मनमाने तरीके से पारित किया है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार सुनबाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और अपीलान्ट पर बिना किसी प्रकार तामील कराये विधिक प्रावधानों को ताक पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपने आप में विधिक प्रावधनों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी के है।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिकमी है। पटवारी द्वारा अतिकमी के विरूद्व की गई रिपोर्ट की पुष्टि होती है। अतिकमी का अतिकमण सिद्व होता है। चूंकि आराजी सरकारी सिवायचक है। अतिकमी उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्ट् खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ की आदेशिक दिनांक 20.2.2024 में अपीलान्ट को उपस्थित/अनुपस्थित, सबूत पेश किये/नहीं किये लिखा है इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलान्ट उपस्थित हुआ अथवा अनुपस्थित रहा। अपीलान्ट ने जबाव, सबूत साक्ष्य पेश किये या नहीं किये स्पष्ट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ ने जो आदेश पारित किया है वह आदेश छपे हुए प्रपत्र में

खाली स्थानो पर पेन से कथित अतिक्रमण का विवरण अंकित किया है, यह विवेक पूर्ण आदेश न होकर मात्र फार्म भरने जैसा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्टस को वगैरा करके एक ही नोटिस जारी किया गया है जबकि नियमानुसार अपीलान्टस को अलग अलग नोटिस जारी किया जाने चाहिऐ। अपीलान्ट अजयकान्त को जो नोटिस जारी किया गया है उस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील नहीं है तथा अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलान्ट श्री अजयकान्त सरपंच पद पर पदस्थापित है। सरपंच द्वारा उपरोक्त विवादित आराजी पर अतिक्रमण कर रखा है। तहसीलदार सैपऊ यह जॉच करें कि उक्त सरपंच के नाम पूर्व में कितनी भूमि है क्या सरपंच भूमिहीन कृषक है। अगर भूमिहीन कृषक है तो आवटंन / नियमन नियमों के तहत एक व्यक्ति को कितनी भूमि नियमानुसार आवटिंत की जा सकती है। उक्त सरपंच द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना पद का दुरूपयोग की परिभाषा में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्य सरसरी तौर पर करना अनुचित है। अपीलाधीन आदेश विवेक पूर्ण आदेश न होने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.02.2024 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार सैपऊ यह जॉच करें कि उक्त सरपंच के नाम पूर्व में कितनी भूमि है क्या सरपंच भूमिहीन कृषक है। अगर भूमिहीन कृषक है तो आवटंन / नियमन नियमों के तहत एक व्यक्ति को कितनी भूमि नियमानुसार आवटिंत की जा सकती है। उक्त सरपंच द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना पद का दुरूपयोग की परिभाषा में आता है। अपीलान्ट की विधिवत सुनवाई कर सुनवाई के पश्चात गुणावगुण के आधार पर स्पीकिंग आदेश पारित करें तथा भविष्य में इस तरह के छपे हुए प्रपत्र पर आदेश पारित नहीं करें। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर